न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2023

उनवान

1. गीता देवी पत्नी रामगोपाल
2. सोनिया पत्नी संतोष कुमार

समस्त जातियान महाजन निवासी खोरी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

3. कमलेश पत्नी संजय
4. शीला देवी पत्नी रविश
5. सुनिता पत्नी सुरेश
6. सुप्यार पत्नी ओमप्रकाश

समस्त जातियान गुर्जर निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रभू पुत्र भगवान सहाय जाति स्वामी उम्र व्यस्क, निवासी बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

2. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

3. पटवारी हल्का देवीपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक – 4/10/23

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आ0ख0नं0 78/3.79 है0 एग्रो प्रोसेस एवं ऐग्रोबिजनेश वाके ग्राम पीपलोद नारायण, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके 1/4 भाग की खातेदारी प्रार्थीगण सं0 01, 1/4 भाग की खातेदारी प्रार्थीगण सं0 02 व 1/8–1/8 भाग की खातेदारी प्रत्येक प्रार्थीगण सं0 3 लगा0 6 के नाम दर्ज है।

2. यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त भूमि के उत्तर में लगता हुआ हाल आराजी ख0 न0 511/510 रकबा 0.3834 है0 ग्राम पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त हाल ख0 न0 511/510 के उत्तर मे हाल ख0 न0 115/0.62 है0 गैर मु0 रास्ता ग्राम पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा में स्थित है उक्त रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है जिसकी खातेदारी राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त रास्ता देवीपुरा बिशनगढ रोड से लगता हुआ जगदीश दादा की दुकान से देवडा का फार्म तक जाता है।

3. यह कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त भूमि हाल ख0 न0 78/3.79 है0 में हाल ख0 न0 115 में स्थित रास्ता जो कि देवीपुरा बिशनगढ रोड से लगता हुआ जगदीश दादा की दुकान से देवउा काफर्म तक जाता है के दक्षिण में स्थित हाल ख0 न0 511/510 की पश्चिमी सीमा के सहारे से हाल ख0 न0 78 की उत्तरी सीमा तक 30 फुट चोडे रास्ते से आते जाते है व अपने वाहन ट्रक ट्रेक्टर जीप व कृषि संसाधन लाते ले जाते है प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि हाल ख0 न0 78 ग्राम पीपलोद नारायण से जाने का एक मात्र उक्त रासता है।

4. यह कि प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी व कब्जे की उपरोक्त भूमि हाल ख0 न0 78 ग्राम पीपलोद नारायण में आने जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है व प्रार्थीगण हाल ख0 न0 115 में स्थित रास्ते से दक्षिण की तरफ हाल ख0 न0 511/510 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अपनी खातेदारी भूमि ख0 न0 78 की उत्तरी सीमा तक 30 फुट चोडा रास्ता जिसे संलग्न छात्राप्रति नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से दर्शाया है आते जाते है प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की अत्यधिक आवश्यकता है तथा यह भूमि सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है व प्रार्थीगण की भूमि तक पहुचने के लिये लघुतम व निकटतम स्थिति है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम अंकित उक्त भूमि के संबंध में दर्ज खातेदारी निर्वापित किया आवश्यक व न्याय संगत है जिसके लिये प्रार्थीगण उचित एवं न्याय संगत प्रतिकर सदाय करने तैयार है।

ह कि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी कार के प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ता में बाधा उत्पन्न करते है व रास्ता बंद करना चाहता है की उसने प्रार्थीगण को दो रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज दारी समाप्त करवाने के लिये कहा तो उससे इंकार हो गये बल्कि अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण करने व राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने रास्ते में निर्माण कार्य कर रास्ता बंद करने व प्रार्थीगण को रास्ते का उपयोग उपभोग नही करने उक्त रास्ते की भूमि पर जबरन काश्त करने की धमकी दी इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थी के रुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

यह कि यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नही किया गया तो अप्रार्थी प्रस्तावित रास्ते की भूमि को अन्य गर को रहन विकय हस्तान्तरण करने व राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने व र्थीगण का रास्ते का उपयोग व उपभोग नही करने व रास्ते की भूमि में निर्माण कार्य कर रास्ता द करने व स्वयं जबरन काश्त करने में सफल हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण को अकथनीय हानि गी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नही की जा सकेगी व प्रार्थीगण को अनेक मुकदमेबाजी उलझना पडेगा।

अंत में निवेदन किया गया कि हाल ट्रेस छायाप्रति में लाललाईन से प्रस्तावित रास्ता जो देवीपुरा बिशनगढ़ रोड से लगता हुआ जगदीश दादा की दुकान से देवडा फार्म तक जाता है हाल ख0 न0 115 से दक्षिण की तरफ हाल ख0 न0 511/510 की पश्चिमी सीमा के सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0 न0 78 ग्राम पीपलोद नारायण तह0 शाहपुरा जयपुर की उत्तरी सीमा तक 30 फुट चौडा रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जाकर उक्त रास्ते की भूमि की अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी निर्वापित की जावे व जिसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कराया जावे तत्पश्चात अप्रार्थीगण उनक नौकर, प्रतिनिधि, वारिसान, एजेन्ट व स्थानापन्नो आदि को सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे कि वे रास्ता पर प्रार्थीगण के आवागमन व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करे एवं न ही प्रस्तावित रास्ते को किसी भी प्राकर से बंद करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रवि शंकर अग्रवाल उपस्थित। दिनांक 29.03.2023 को वकील प्रार्थी ने संशोधित टाईटल पेश किया । अप्रार्थीगण बावजुद तामील व सूचना के अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक रीडर/23/1124 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कि गयी तथा वकील प्रार्थी उपस्थित आया जिसे ध्यानपूर्वक सुना गया। बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुच मार्ग हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के आराजी ख0 न0 511/510 में पश्चिमी मेड के सहारे 30 फीट का रास्ता प्रस्तावित किया है। तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 511/510 रकबा 0.3834 है0 में से 66 मीटर लम्बाई व 9.25 मीटर चौडाई रकबा 0.0610 है0, अर्थात 610 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 4/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी